

केन्द्रीय विद्यालय संगठन (मु.)  
 18, संस्थागत क्षेत्र, शहीद जीत सिंह मार्ग, नई दिल्ली- 110016  
 KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN (HQ)  
 18, Institutional Area, S.J. Marg, New Delhi 110016.  
 Tel.: 011-2695168, 8860748880  
 Email- mpquota@kvs.gov.in  
 Website: www.kvsangathan.nic.in

F. No.110331/03/2020-21/KVS(HQ)/Sp.Disp/MP (LS)

दिनांक- 26.08.2020

सांसद संस्तुति पर प्रवेश आदेश

माननीय सांसद Shri Shyam Singh Yadav के द्वारा के.वि.सं कूपन संख्या. 495 के माध्यम से की गई संस्तुति के आधार पर निम्न विद्यार्थियों को माननीय सांसद के लिए विशेष छूट प्रवेश योजना के अंतर्गत सत्र 2020-21 में प्रवेश दिया जाना अनुमोदित किया जाता है:-


S.N.	Name of the Child	Father's/Mother's Name (in Capital letter) and address with mobile No.	Class	Name of KV
1	प्रशांत यादव	ओम प्रकाश यादव, मो 9565690717	6	न्यू कैंट, प्रयागराज शिफ्ट-1
2	अमितेश यादव	संजय यादव, मो 9598118770, 9984184558	9	वाराणसी (BHU) शिफ्ट-1
3	प्रबल सिंह	राजबहादुर सिंह, मो 9918889050, 9415632337	7	न्यू कैंट, प्रयागराज शिफ्ट-1
4	पीयूष	योगेंद्र प्रताप, मो 7398397515	9	कैंटमेंट, वाराणसी शिफ्ट-1
5	आयुषी यादव	जंग बहादुर यादव, मो 9580701701	1	ओल्ड कैंट, प्रयागराज शिफ्ट-1
6	श्रेया यादव	सुभाष चंद्र यादव, मो 9918040853, 9452160947	7	ओल्ड कैंट, प्रयागराज शिफ्ट-1
7	मानसी पाल	अरविंद कुमार, मो 9198730713	1	BHU, वाराणसी शिफ्ट-1
8	आराध्य चौधरी	सूर्य नाथ, मो 9453726459	7	सुल्तानपुर शिफ्ट-1
9	वेत्री सेठ	सुनील कुमार सोनी, मो 8090047491	1	39 जीटीसी शिफ्ट-1
10	प्रांजल यादव	सुभाष चंद्र यादव, मो 9918040853, 9452160947	5	ओल्ड कैंट, प्रयागराज शिफ्ट-1

प्रया 03/08/20

कृ. पृ. उ.

**निर्देश:-**

- (i) विद्यार्थी, अन्यथा के. वि. स. की वर्तमान प्रवेश दिशानिर्देशिका 2020-21 के अनुसार पात्र होना चाहिए।
- (ii) इन प्रवेशों की संख्या कक्षा की नियत संख्या के ऊपर एवं अलावा (over and above) होगी। प्रवेश की अंतिम तिथि 31.08.2020 है।
- (iii) प्राचार्य, संबन्धित केन्द्रीय विद्यालय को निर्देशित किया जाता है कि वे उपरोक्त विद्यार्थी के अभिभावकों को प्रवेश हेतु अविलम्ब सूचित करें।

  
24/8/xx  
संयुक्त आयुक्त (शैक्षिक)

**प्रतिलिपि:**

1. Shri Shyam Singh Yadav माननीय संसद सदस्य को ई. मेल से सादर सूचनार्थ।
2. उपायुक्त, के वि सं, VARANASI संभाग को सूचनार्थ। (ई. मेल)
3. प्राचार्य- संबन्धित विद्यालय को आवश्यक कार्यवाही हेतु। (ई. मेल)

